सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व वाद संख्या 92/2016
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – काबरा

श्रीमति शान्तादेवी पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह, जाति रावत, निवासी थूनी था, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

––––––––वादिया

ब नाम

1– श्रीमति कोयली पत्नि श्री हीरासिंह, जाति रावत, निवासी काणूजा, तहसील रायपुर, जिला पाली (राज.) हाल निवासी काबरा रोड, थूनी थाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2– श्री टीलसिंह पुत्र श्री हमीरा,
3– श्री चैनसिंह पुत्र श्री हमीरा,
4– श्रीमति गंगा प्रथम बेवा श्री हमीरा,
5– श्री देवी पुत्र श्री हमीरा,
6– श्री कालू पुत्र श्री हमीरा,
7– श्री किशोर पुत्र श्री हमीरा,
8– श्रीमति सीता पुत्री श्री हमीरा,
9– श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री हमीरा,
10– श्रीमति गंगा द्वितीय पत्नि श्री हमीरा,
11– श्रीमति सोहनी देवी पत्नि श्री भैरूसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम थूनी थाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
12– राज्य सरकार जरिये भू–धारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
13– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक ब्यावर

––––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 18.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट काबरा में प्रस्तुत हुआ। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा दिनांक 26.05.2017 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक कैम्प/18/39 दिनांक 18.05.2018 द्वारा केंप कोर्ट काबरा में प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादिया संख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार ब्यावर उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को मज़में आम में सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा थूनी थाक, पटवार क्षेत्र धोलादांता द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा, तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 173/1 रकबा 01–12–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 11 सोहनी देवी पत्नी भैरूसिंह कौम रावत सा. काबरा के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/2 रकबा 01–01–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 कोयली देवी पत्नी हीरासिंह कौम रावत सा. काणुजा तह. रायपुरा के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/3 रकबा 00–10–19 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को वादिया शान्ता देवी पत्नी नरेन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/4 रकबा 01–13–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है,

..................लगातार

सहायक कलक्टर
(मु.) ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 टीलसिंह चैनसिंह पि. हमीरा गंगा प्रथम पत्नी स्व. हमीरा व देवीसिंह कालूसिंह किशोरसिंह पि. हमीरा सीता लक्ष्मी पुत्रियां हमीरा गंगा द्वितीय पत्नी स्व. हमीरा कौम रावत सा. देह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट काबरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

सहायक कलेक्टर
(प्र.) ब्यावर

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम दीपांशु सांगवान आर. ए. एस.(प्रशिक्षु)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – काबरा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

राजस्व वाद संख्या 92/2016

श्रीमति शान्तादेवी पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह, जाति रावत, निवासी थूनी था, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
--------वादिया

ब ना म

1– श्रीमति कोयली पत्नि श्री हीरासिंह, जाति रावत, निवासी काणूजा, तहसील रायपुर, जिला पाली (राज.) हाल निवासी काबरा रोड, थूनी थाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2– श्री टीलसिंह पुत्र श्री हमीरा,
3– श्री चैनसिंह पुत्र श्री हमीरा,
4– श्रीमति गंगा प्रथम बेवा श्री हमीरा,
5– श्री देवी पुत्र श्री हमीरा,
6– श्री कालू पुत्र श्री हमीरा,
7– श्री किशोर पुत्र श्री हमीरा,
8– श्रीमति सीता पुत्री श्री हमीरा,
9– श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री हमीरा,
10– श्रीमति गंगा द्वितीय पत्नि श्री हमीरा,
11– श्रीमति सोहनी देवी पत्नि श्री भैरूसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम थूनी थाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
12– राज्य सरकार जरिये भू–धारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
13– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक ब्यावर
------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री लक्ष्मण सिंह पंवार
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1से3, 5 से 7 – श्री जी.सी. गादिया
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 12, 13 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 92/2016
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 18.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट काबरा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.2018 को दीपांशु सांगवान, आए.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट काबरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा थूनी थाक, पटवार क्षेत्र धोलादांता द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा, तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 173/1 रकबा 01–12–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है , को प्रतिवादी संख्या 11 सोहनी देवी पत्नी भैरूसिंह कौम रावत सा. काबरा के हिस्से में

........................लगातार

सहायक कलक्टर
(मु.) ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/2 रकबा 01–01–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 कोयली देवी पत्नी हीरासिंह कौम रावत सा. काणुजा तह. रायपुरा के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/3 रकबा 00–10–19 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को वादिया शान्ता देवी पत्नी नरेन्द्रसिंह कौम रावत सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 173/4 रकबा 01–13–17 किस्म बा.2 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 टीलसिंह चैनसिंह पि. हमीरा गंगा प्रथम पत्नी स्व. हमीरा व देवीसिंह कालूसिंह किशोरसिंह पि. हमीरा सीता लक्ष्मी पुत्रियां हमीरा गंगा द्वितीय पत्नी स्व. हमीरा कौम रावत सा. देह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। आज तारीख 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलेक्टर, ब्यावर